(15)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2011/भाद्र 10, 1933

No. 488] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2011/BHADRA 10, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 656(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल निजी सचिव श्रेणी-I (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रेल मंत्रालय में निजी सचिव श्रेणी-I के समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल निजी सचिव श्रेणी-I (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान बैंड और ग्रेड वेतन, या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव श्रेणी-I	132* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300-34800 रुपये) और ग्रेड वेतन 4800 रुपए	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** : वेतन बैंड (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसा निजी सचिव श्रेणी-II जिसने लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा तथा सेवा अभिलेख के मूल्यांकन के आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पूर्व /उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **टिप्पण 3** : लेखा विभाग में पद ऊपर निर्दिष्ट समान पात्रता शर्तों के साथ लेखा विभाग के ऐसे आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा उसी प्रकार भरे जाएंगे, जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. लेखा विभाग में पदों के लिए वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या अन्य सभी विभागों में पदों के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेल के मुख्य कार्मिक अधिकारी —अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
2. संबंधित क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विभागाध्यक्ष —सदस्य	

[फा. सं. 2010/ई(जी आर) I/15/2/आर आर]

आर. डी. चौधरी, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2011

G.S.R. 656(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Railways Private Secretary Grade-I (Group 'B') Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts of Private Secretary Grade-I in the Ministry of Railways, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railways Private Secretary Grade-I (Group 'B') Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary Grade-I	132 * (2011) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4800	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Hundred per cent by promotion	**Promotion :** Private Secretary Grade-II in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade Pay of Rs. 4600 with two years regular service in the Grade on the basis of a written test followed by viva-voce and assessment of record of service. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006/or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission. **Note 3:** The posts in the Accounts Department will be filled up by promotion in the same manner as above from amongst Stenographers of Accounts Department with the same eligibility conditions as indicated above.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee :	Consultation with Union Public Service
1. Financial Advisor and Chief Accounts Officer for posts in Accounts Departments or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway for posts in all other Departments —Chairman	Commission not necessary.
2. Two Heads of Departments to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway —Members	

[F. No. 2010/E(GR)I/15/2/RR]

R. D. CHOUDHURY, Executive Director Estt.(Gaz. Cadre)

3332 GI/11-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.